

न्यायालय अंचलाधिकारी, बख्तियारपुर (पटना)

दाखिल खारिज/बटवारा बाद सं०/ 57/13-14

आदेश फलक

अं० अ०

30

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख-सहित 3												
29/1/13	<p>श्री श्री <u>श्री श्री देवी</u> पिता <u>श्री श्री देवी</u> निवासी <u>बख्तियारपुर</u> थाना <u>बख्तियारपुर</u> ने निम्नांकित भूमि का <u>बख्तियारपुर</u> के आधार पर दाखिल खारिज करने हेतु एक आवेदन-पत्र दायर किए हैं।</p> <p style="text-align: center;"><u>जमीन का विवरण</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता</th> <th>खेसरा</th> <th>रकबा</th> <th>लगान</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>बख्तियारपुर</td> <td>143</td> <td>37</td> <td>360</td> <td>3250</td> <td>5516</td> </tr> </tbody> </table>	ग्राम	थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	लगान	बख्तियारपुर	143	37	360	3250	5516	
ग्राम	थाना नं०	खाता	खेसरा	रकबा	लगान									
बख्तियारपुर	143	37	360	3250	5516									
<p>सम्बन्धित हल्का कर्मचारी/अं० नि० से जाँच प्रतिवेदन की माँग करें। प्रतिवेदन प्राप्त के पश्चात् अभिलेख उपस्थापित करें।</p>														
<p>अं० अ०</p>														
<p>बख्तियारपुर (पटना)</p>														
<p>अभिलेख उपस्थापित। हल्का कर्मचारी का अं० नि० के माध्यम से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त/सम्बन्धित व्यक्तियों एवं आम महाल को दिसांक के लिए सूचना निर्गत करें।</p>														
<p>तदनुसार अभिलेख उपस्थापित करें। प्रतिवेदन देखा है कि प्रस्ताव मुक्ति के तहत शक्ति देवी (सहिल देवी) के नामांतरण का एक प्रमाण पत्र 31/3/13 को उपस्थापित करें।</p>														

29/1/13
अं० अ०

आदेश की क्रम सं० और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बताने टिप्पणी तारीख-सहित 3
-----------------------------------	-------------------------------------	--

सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त।
 सुनवाई के समय किसी भी व्यक्ति द्वारा आपत्ति दायर नहीं किया गया है।
 हल्का कर्मचारी एवं अं० नि० के जांच प्रतिवेदन पर किसी भी व्यक्ति
 द्वारा आपत्ति नहीं किये जाने तथा लगान वसूली के मदेनजर निम्नांकित
 जमीन का दाखिल खारीज करने की दी जाती है।

अंचलाधिकारी
 बख्तियारपुर (पटना)

04.5.13

अधिकारी उपस्थापित आवेदन
 के सह-डिस्ट्रिक्ट बाली इकाई के
 नामानुसार का काद सं० 035/12-13
 है, जिसमें दोनो पक्षों के प्रतिवेदन
 में तथा यह तथ्य प्रकाश में आया
 कि पक्षकारों के बीच स्वतंत्रता
 आदि का विवाद है जिसमें सहकारी
 नहीं बन पाई है। पक्षकारों के बीच
 सभी पक्षों की भूमि में उगाईया
 के आधार पर विवाद है। इसे
 में इस काद को अस्वीकृत किया
 जाता है।

04/5/13
 अं० अधिकारी